न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील जी.सी.एम. एस. नम्बर 2023/501

1. श्रीमती सेडी देवी पत्नी रामकंवार, जाति मीणा निवासी ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
2. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश
3. बिदामी देवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश
4. विनोद कुमार पुत्र भगवान सहाय
5. रतनलाल पुत्र भगवानसहाय
6. हनुमान पुत्र भगवानसहाय
   समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम नेकावाला(बोबाडी)तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
7. गंगाराम पुत्र मुरलीधर
8. कानाराम पुत्र मुरलीधर
9. मुन्नी पुत्री स्वा0 चतुरभुज
10. सुमित पुत्र स्व0 चतुरभुज
11. सुमेन्द्र पुत्र स्व0 चतुरभुज
12. राजेश पुत्र स्व0 चतुरभुज
13. पूजा पुत्री स्व0 चतुरभुज (नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती मुन्नी देवी)
    समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

— प्रोफार्मा रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर राज0 के निर्णय दिनांक 28.04.2023 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सेडी व अन्य वाद संख्या 16/2022 को किये गये आदेश के विरुद्व अपील।

उपस्थित–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री बंशीधर जाट वकील रेस्पोडेण्ट 4 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–06.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के प्रस्तुत होने पर अपीलांट योग्य अधिवक्ता एवं रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तहसीलदार जमवारामगढ ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष वाके ग्राम नेकावाला तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि आराजी नवीन खसरा नम्बर 182/371, 184, 185, 182, 186 का राजस्व नक्शा साबिक खसरा नं. 33/170, 33/195, 33/164 अनुसार तरमीम करने एवं हाल नवीन राजस्व नक्शे को दुरुस्त

करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पत्रावली स्थानान्तरित होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा दिनांक 28.04.2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व व वर्तमान राजस्व नक्शे का मिलान कर वर्तमान नक्शे में दिए गये खसरा नं. 182, 184, 185, 186, 182/371 को उसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरों के नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर के उक्त निर्णय दिनांक 28.04.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती श्रीमती सेडी देवी पत्नी रामकंवार द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 28.04.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम नेकावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में साबिक खसरा नं. 33/170 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 33/195 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 33/164 रकबा 5 बीघा अनुसार साबिक राजस्व नक्शा अनुसार तरमीमशुदा रही है। यह कि दौराने सेटलमेंट कार्यवाही मे सेटलमेंट अधिकारी साबिक खसरा नम्बर 33/170 के नवीन खसरा नम्बर 182/371, 184, 185 अनुसार एवं साबिक खसरा नम्बर 33/195 के नवीन खसरा नम्बर 182 तथा साबिक खसरा नम्बर 33/164 के नवीन खसरा नम्बर 186 अनुसार कायम किये गये है। जो कि जमाबन्दी खतोनी साबिक रिकार्ड अनुसार बनाया गया है। उक्त वर्णितानुसार साबिक खसरा नंम्बर 33/170, 33/195, 33/164 के संबंध मे दौराने सेटलमेंट कार्यवाही नवीन राजस्व नक्शा साबिक तरमीमशुदा नक्शे के विपरीत व भिन्न बना दिया गया। उक्त भूमियो के साबिक राजस्व नक्शे के विपरीत जाकर हाल राजस्व नक्शे मे त्रुटिपूर्ण तरमीम करने से खसरा नम्बर 182/371, 184, 185, 182, 186 को मौके पर एन0एच0 11ए के लगवा अनुसार अप्रार्थीगण मौके पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा है, जिससे भावी विवाद होने की सम्भावना हो चुकी है। चूंकि हाल नक्शे मे अप्रार्थीगण ने अपनी भूमियो को एन0एच0 11ए के लगवा अनुसार तरमीम करा लिया है जबकि साबिक राजस्व नक्शे मे एन0एच011ए के लगवा अनुसार अन्य भूमि रही है। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर मे स्थानान्तरित हुआ। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा नया पुराना कोई भी नक्शा न्यायालय के समक्ष पेश नही किया ना ही रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 द्वारा ऑथेनटिक नक्शा पेश किया। अपीलार्थी द्वारा विवादित खसरा नम्बरो की जमाबंदी, नक्शा व मोका स्थिति श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमे विवादित खसरा नम्बरान अपीलार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक तथ्यों पर गौर किये बिना जो आज्ञाए पारित की है वह क्षेत्राधिकार के बाहर थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र जवाब अधिनियम धारा–5 मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 के विरूद्व लगभग 8 महिनों के उपरान्त प्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्यों पर अपील पेश की गई है एवं विलम्ब का भी कोई संतोषप्रद कारण नहीं दिया गया। चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे फिर भी विचाराधीन अपील में देरी से प्रस्तुत होने का कोई उचित कारण उल्लेख नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व एवं वर्तमान के राजस्व नक्शे का मिलान कर वर्तमान नक्शे में दिए गए खसरा नं को उसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरों के नक्शे के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद ग्राम नेकावाला तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नं. 33/170, 33/195, 33/164 का सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान नवीन राजस्व नक्शा साबिक तरमीमशुदा नक्शे के विपरित व भिन्न बना दिये जाने को लेकर है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र जवाब अधिनियम धारा–5 मय प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 28.04.2023 की पालना हेतु दिनांक 14.07.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 को खारिज फरमाने की अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील क्षेत्राधिकार के बाहर एवं अपील मियाद बिन्दु पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि चूंकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.04.2023 के लगभग 8 महिनों बाद अपील पेश की है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। ऐसी दशा में प्रार्थना प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28.04.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।